



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)



क्रमांक: एफ 3(7)ग्रावि/अनु-8/साप्ताहिक बैठक/2020 जयपुर, दिनांक: 07 OCT 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में विभागीय क्रियाकलापों एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 05.10.2020 (सोमवार) को आयोजित साप्ताहिक बैठक आयोजित की हुई। बैठक के निर्णय एवं निर्देश निम्नानुसार है:-

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास के कार्मिकों की पदोन्नति शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रा.वि. द्वारा आगामी बुधवार दिनांक 07.10.2020 तक डीपीसी करने हेतु अवगत कराया।
- ग्रामीण विकास (आवास योजना) के प्रतिनियुक्त पर स्वीकृत पदों पर सिविल अभियन्ताओं को शीघ्र पदस्थापित करने के निर्देश संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रा.वि. को दिये।
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 3 लाख परिवारों में आवास निर्माण करा लिया है। उनकी राशि के भुगतान बाबत शीघ्र बजट आवंटन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वित्त को पत्र एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। आवास योजना के अनुसूचित जाति संवर्ग की प्रावधित राशि में से 121 करोड राशि ही प्राप्त हुई है शेष आवंटित राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जायें।
- पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर तक कराया जाना है। जिन जिलों की प्रगति कम है उन जिलों के कलक्टर्स को पत्र प्रेषित किये जाये।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (एसपीएमआरएम) में कन्वर्जेन्स एवं अन्तर विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में कठिनाईयां हैं। राजीविका के माध्यम से योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा कर क्रियान्वयन बाबत स्टेट मिशन निदेशक को निर्देशित किया गया।
- बीएडीपी में जिलों से यूसी प्राप्त करने हेतु दूरभाष पर चर्चा करने एवं जिला कलक्टर्स को पत्र प्रेषित बाबत निर्देश दिये गये।
- एमपी/एमएलए लेड, डांग, मगरा, मेवात एवं अन्य योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

सामाजिक अंकेक्षण

- सामाजिक अंकेक्षण कार्य समयबद्ध करने के निर्देश दिये। सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु यह निर्णय लिया गया कि राजीविका के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से यथा सम्भव सामाजिक अंकेक्षण कराया जाये। एक ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह के सदस्य दूसरी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करेंगे, इस आशय के सैद्धांतिक निर्णय हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।



- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अनुभागों के रूल्स एवं बिजनेस निर्धारित किये जाने हैं। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास अनुभाग मानते हुए रूल्स एवं बिजनेस की विषयवस्तु में शामिल करने के निर्देश दिये गये।
- सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय में कार्मिकों के चयन की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण

- वेट लैण्ड ऑथरिटी को जीआईएस विकसित करने में सहयोग किया जाये।
- जलग्रहण विकास की योजनायें जो बंद हो गयी हैं उनकी राशि जिलों/पंचायत समितियों से वापस ली जानी है। आगामी बैठक में किस जिले/पंचायत समिति को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दी गयी है, विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- राजीव गांधी जल संचय योजना की क्रियान्विति बाबत जिला कलक्टर्स को लिखा जाये।

बायोपयूल

- गैर सरकारी संगठनों के चयन से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- बायोपयूल मोबाईल वैन, आउटलेट्स के लिए फर्म्स का चयन किया जाता है इसके स्थान पर राजीविका के सी.एल.एफ के माध्यम से क्रियान्विति बाबत प्रस्ताव तैयार किये जायें।

इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

- संस्थान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। संस्थान की पृथक से विस्तृत समीक्षा की जानी है।
- जीपीडीपी तैयार कराने, एसएलआरएम प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति हेतु ऑडियो एवं वीडियो तैयार करने में सहयोग करें।
- आईजीपीआरएस हॉस्टल 01 नवम्बर 2020 से प्रारम्भ किया जाये, जिसका शेड्यूल शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

महात्मा गांधी नरेगा

- बांसवाडा जिले में लेखा सत्यापन कार्य की कम प्रगति है। संबंधित जिले के अधिकारियों से चर्चा कर प्रगति अर्जित करायी जाये।
- महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में डिजिटल मेजरमेंट का प्रावधान किया जाये।
- एमएनआईटी जयपुर से सम्पर्क कर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की प्रक्रिया लागू करने हेतु अभियान्त्रिकी छात्रों के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये।
- अभियन्ताओं की कमी के कारण महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्विति प्रभावित हो रही है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि यथासंभव अभियन्ताओं के पदस्थापन की कार्यवाही की जाये। श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.) द्वारा जलग्रहण विकास के सेवानिवृत्त अधिशाषी अभियन्ताओं को पदस्थापित करने का प्रकरण लम्बित रहने के संबंध में अवगत कराया। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।



स्वच्छ भारत मिशन

- एसएलआरएम क्रियान्विति हेतु विस्तृत एसओपी तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्स निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में प्रावधान आदि के दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिये गये।
- सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्स संचालन अवधि, संचालन हेतु कार्मिकों की व्यवस्था, साफ-सफाई एवं रख रखाव, पानी एवं बिजली की व्यवस्था, विद्युत बिल के भुगतान आदि समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- एसएलआरएम के सफल क्रियान्वयन हेतु आईजीपीआरएस के माध्यम से ऑडियो वीडियो तैयार कर सघन प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये गये।
- वंचित परिवारों (एलओवी एवं एनओएलवी) के शौचालय निर्माण की प्रगति राज्य के 5 जिले यथा- सोमाधोपुर, बूंदी, धौलपुर, टोंक एवं झुंजरपुर में अन्य जिलों की अपेक्षा कम है। इन जिलों के अधिकारियों से वार्ता कर वांछित प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिये गये।

पंचायतीराज


- पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन में 1456 ग्राम पंचायतें 57 पंचायत समितियों का नवसृजन हुआ है। इन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों में पद सृजन कराया जाना आवश्यक है।
- अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित नक्शा के अनुमोदन हेतु पत्रावली मुख्य मंत्री कार्यालय में प्रेषित की हुई है। नक्शा अनुमोदन पश्चात स्वीकृति आदि की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगी।
- अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों की स्वीकृति एवं सहमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण शीघ्र अपेक्षित है।
- राज्य में नवीन पंचायत समिति भवनों के नक्शा अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। नक्शा अनुमोदन पश्चात स्वीकृति आदि की कार्यवाही की जा सकेगी।
- पंचायतीराज के अधिकारी, कर्मचारी, अभियन्ताओं की पदौन्नति शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये।
- अभियन्ता संवर्ग में वर्ष 2012-13 से पदौन्नतियां नहीं हुई हैं। अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के पदों पद शीघ्र पदौन्नति करने के निर्देश दिये गये।
- अभियन्ताओं की पदौन्नति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम रिव्यू डीपीसी की जानी है। अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं के समस्त रिव्यू प्रकरण तैयार कर रिव्यू डीपीसी की कार्यवाही आगामी सोमवार तक करने के निर्देश दिये गये।
- कार्मिक विभाग स्तर पर अभियन्ताओं की पदौन्नति संबंधित पत्रावली के शीघ्र निस्तारण के प्रयास हेतु संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) एवं परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू) ग्रा.वि. को निर्देशित किया गया।

- न्यायालय प्रकरण, स्थगन प्रकरण, अवमानना प्रकरण, राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति, जवाब दावा प्रस्तुति आदि का विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया गया।
- पंचायतराज जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण, विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों, अभियन्ताओं के विरुद्ध विचाराधीन, अनुशासनिक कार्यवाही पर आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम विकास अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।
- जीपीडीपी कार्य में इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण सम्पादन की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये।

राजीविका

- उन्नति प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- ई कोमर्स प्लेटफार्म तैयार किया जाए। आंगनबाडी सेन्टर को राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये जा रहे स्थानीय प्रोडक्ट्स की सोप के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जायें।
- जिला स्तर पर राजीविका के माध्यम से कैंटीन संचालित की जाये। आईजीपीआरएस की कैंटीन राजीविका के माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


(हितबल्लभ शर्मा)

परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

०७/०८/२०२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
6. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
7. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
8. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।

10. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
11. उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
12. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
13. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
14. परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
15. वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
16. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायती राज।
17. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो.एवं मू./एस.ए.पी.), ग्रावि।
18. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
20. अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
21. संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायती राज।
22. परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
23. सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

07/12/2020